बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 310737 / पटना, दिनांक 18/5/17

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/अभि0-03-08/2017

प्रेषक,

महेन्द्र भगत,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में माँग संख्या- 42 मुख्य शीर्ष- 2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06- स्वरोजगार कार्यक्रम लघु शीर्ष- 101- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यांश हेतु उप शीर्ष- 302 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) विपत्र कोड- 42-2501061010302 ईकाई 3104 सहायक अनुदान वेतन के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के अधीन सृजित अनुसूची-1 के अनुरूप 2046 पदों का दिनांक- 01.04.2017 से 31.03.18 तक के लिए अवधि विस्तार एवं सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के स्थापना व्यय हेतु प्राप्त बजट उपबंध के अनुरूप 24,00,00,000 (चौबीस करोड़) रूपये के सहायक अनुदान वेतन की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेशः- स्वीकृत ।

2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पुनर्गठन एवं व्यय की समीक्षा के उपरांत भारत सरकार द्वारा दिनांक- 01.04.99 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना की शुरूआत की गई। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । इसमे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता 60:40 के अनुपात में है । इसका प्रमुख उद्देश्य जिला स्तर पर गरीबी उन्मूलन के कार्य को सुदृढ करने हेतु संस्थागत विकास करना है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन की मार्गदर्शिका के कंडिका 3.5 के अनुसार प्रखंडों की संख्या के आधार पर जिलों को चार श्रेणियों ए, बी, सी, एवं डी में विभाजन कर स्कंधों के तहत कुल 2046 पदों का सृजन किया गया है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के लिए न्यूनतम 40 एवं अधिकतम 57 पद स्वीकृत किये गये है ।

3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त मद में राज्यांश हेतु कुल- 24,00,00,000 (चौबीस करोड़) रूपये का योजना उद्व्यय एवं समतुल्य राशि का बजट उपबंध है ।

4) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या- 602 दिनांक- 20.03.07 की कंडिका- 7 एवं वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या- 96 वि0 (2) दिनांक- 03.01.08 की कंडिका 7 में निहित प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के अंतर्गत् अनुसूची-1 के अनुसार सृजित 2046 पदों के अवधि विस्तार सहित स्थापना व्यय हेतु बजट उपबंध के अनुरूप 24,00,00,000 (चौबीस करोड़) रूपये के सहायक अनुदान वेतन की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है ।

5) वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि से सर्वप्रथम पूर्व वर्ष के बकाये राज्यांश की राशि आवंटित की जायेगी । तत्पश्चात वर्ष 2017-18 में जैसे-जैसे भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि विमुक्ति की जायेगी, वैसे-वैसे अनुपातिक सहायक अनुदान वेतन राज्यांश की राशि शेष विमुक्त राशि से आवंटित की जायेगी ।

6) यह राशि राज्यांश मद की राशि है तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश का व्यय 60:40 के अनुपात में होगा । अत: वास्तविक व्यय उस सीमा तक सीमित रहेगा, जिस सीमा तक केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त की गई है ।

7) भारत सरकार की नयी मार्गदर्शिका के निहित निर्देशों के अनुरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन में इन सृजित पदों के विरूद्ध कोई भी सीधी नियुक्ति नहीं की जानी है । अभिकरणों में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति / अनुबंध के आधार पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति से भरा जाना है ।

8) स्वीकृत राशि का व्यय योजना मांग संख्या- 42 मुख्य शीर्ष- 2501 -ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघु शीर्ष- 101 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) विपत्र कोड- 42-2501061010302 ईकाई- 3104 सहायक अनुदान वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगा ।

9) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 वि0 (2) दिनांक- 17.04.1998 में निर्धारित मापदंडो को वित्त विभाग की सहमति से विभागीय पत्रांक- 3002 दिनांक- 26.04.17 द्वारा शिथिल किया गया है । फलत: वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 वि0 (2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में एक मुश्त राशि की अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

10) वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2218 वि0 (2) दिनांक- 26.03.2002 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकृत पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

11) इस मद में राशि का आवंटन विभागीय संकल्प सं0 199847 दिनांक 05.09.2014 जिसमें मंत्रीपरिषद की सहमति प्राप्त है के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को किया जाएगा जो सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से राशि की निकासी करके संबधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के खाते में जमा करेंगे ।

12) योजना के सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6/अभि0-03-08/2017 के पृष्ठ-3/टि0 एवं तिथि-05.05.2017 को प्राप्त है ।

13) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन संचिका संख्या- ग्रा0वि0-6/अभि0-03-08/2017 के पृष्ठ-4/टि0 पर दिनांक-15.05.2017 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

18/5/17

(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 310737 / पटना, दिनांक 18/5/17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/5/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 310737 / पटना, दिनांक 18/5/17

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग / संयुक्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी- 06 एवं 10, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग / आई.टी. मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), ग्रा0वि0वि0 / कार्यवाह सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

18/5/17

सरकार के उप सचिव

अनुसूची- 1

बजट शीर्ष 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- 06- स्वरोजगार कार्यक्रम- 101- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- 302- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) विपत्र कोड- पी0- 2501061010302, ईकाई- 3104- सहायक अनुदान वेतन के अंतर्गत सृजित पदों के अवधि विस्तार हेतु विवरणी

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत वेतनमान औसत प्रतिव्यक्ति वेतन
1	2	3	5
1	परियोजना निदेशक	38	37400-67000 80000
2	परियोजना पदाधिकारी	114	15600-39100 60000
3	स0 परियोजना पदाधिकारी	142	9300-34800 22500
4	तकनीकी सहायक	320	9300-34800 19000
5	लिपिक-सह-टंकक	383	5200-20200 22000
6	कार्यपालक अभियंता	38	15600-39100 37500
7	सहायक अभियंता	74	9300-34800 22500
8	वरीय लेखा पदाधिकारी	36	9300-34800 24500
9	लेखा पदाधिकारी	76	9300-34800 22500
10	लेखापाल / लेखा लिपिक	142	5200-20200 22000
11	परियोजना अर्थशास्त्री	38	9300-34800 22500
12	सांख्यिकी अन्वेषक	74	9300-34800 22000
13	कार्यालय अधीक्षक	38	9300-34800 30000
14	सहायक	112	5200-20200 22000
15	स्टेनोग्राफर	74	5200-20200 22000
16	वाहन चालक	152	4440-7440 7000
17	परिचर / चौकीदार	195	4440-7440 6000
	कुल	**2046**	

18/5/17

सरकार के उप सचिव